सहामेव जयते The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 439] No. 4391

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 4, 2012/भाद्र 13, 1934 NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 4, 2012/BHADRA 13, 1934

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोवता मामले विभाग)

अधिस्चना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 668(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ग), (च), (ज), (झ) और (ध) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधिक माप विज्ञान (साधारण) नियम, 2011 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान (साधारण) संशोधन नियम, 2012 है। (2). ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. विधिक माप विज्ञान (साधारण) नियम, 2011 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 15 में.-
- (i) उपनियम (3) में, "युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो" शब्दों के स्थान पर "एक मास की स्चना न दे दी गई हो" शब्द रखे जाएंगे:
- (ii) उपनियम (5) में "युक्तियुक्त अवसर" शब्दों के स्थान पर "एक मास की सूचना" शब्द रखे जाएंगे।
- 3. मूल नियम के नियम 16 में उपनियम (4) और (5) में "युक्तियुक्त अवसर" शब्दों के स्थान पर "एक मास की सूचना" शब्द रखे जाएंगे।
- 4. मूल नियम के नियम 19 के उपनियम (3) और नियम 20 के उपनियम (4) में 'ठीक समय में' शब्दों के स्थान पर 'सत्यापन के लिए नमूना प्रस्तुत करने के दस कार्य दिवसों के भीतर' शब्द रखे

- 5. मूल नियम के नियम 20 के उपनियम (3), की मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातु:-
 - "(ii) जहां ऐसे अमानुक बाट या माप किसी मानक बाट या माप के समरूप है, ऐसे बाट या माप के सत्यापन की फीस वहीं होगी जो समरूप के मानक बाट या माप के लिए विनिर्दिष्ट होगी, परन्तु यदि ऐसा अमानक बाट या माप दो मानक बाटों या मापों के बीच का है तो उसकी फीस उच्चतर मानक के बाट अथवा माप के बराबर होगी।"
- 6. मूल नियम के नियम 21 के पश्चात् निम्न लेखित नियम अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
- "21क. विशेष रूप से वैज्ञानिक जांच या अनुसंधान के लिए निर्मित किए जाने वाले गैर-मानक बाट या माप के लिए शर्तें आदि-
- (1) इस नियम के उपबंध वैज्ञानिक जांच या अनुसंधान के उद्देश्य के लिए विशेष रूप से बनाए गए या विनिर्मित किए गए बाट या माप पर लागू होंगे।
- (2) कोई भी अमानक बाट या माप किसी व्यक्ति द्वारा तब तक बनाया अथवा विनिर्मित नहीं किया जाएगा जब तक कि केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमित प्राप्त न कर ली जाती।
- (3) कोई व्यक्ति जो वैज्ञानिक जांच या अनुसंधान के प्रयोजन के लिए अमानक बाट या माप विनिमित करना चाहता है,ऐसे बाट और माप के विनिर्माण को उसे ऐसी अनुज्ञा के लिए पांच सौ रुपये की फीस का संदाय करने पर केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के लिए एक आवेदन करेगा और ऐसे आवेदन में निम्नलिखित दर्शित होगा;(क) अपना नाम और पूरा पता:(ख) कारखाने का स्थान जिसमें ऐसे बाट या माप विनिर्मित किए जाने प्रस्तावित हैं:
- (ग) विनिर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित बाट या माप का विवरण ;(घ) दस्तावेज या अन्य साक्ष्य जिसमें उपर्युक्त जांच या अनुसंधान के लिए किसी फर्म संविदा के होने को दर्शाया गया है या जहां वैज्ञानिक जांच या अनुसंधान के लिए ऐसी कोई फर्म संविदा नहीं है, दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य में यह दर्शाया गया हो कि अमानक बाट या माप की वैज्ञानिक जांच या अनुसंधान के लिए मांग की संभावना है।
- (4) केंद्रीय सरकार, यदि आवेदक या अन्यथा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य से यह समाधान हो जाता है, कि आवेदक वैज्ञानिक जांच या अनुसंधान के लिए अमानक बाट अथवा माप के विनिर्मित करना चाहता है तो उसे ऐसे बाट या माप विनिर्मित करने के लिए उसे प्राधिकार की अनुजा प्रदान कर देगी:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक ने अनुज्ञा की किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया है या आवेदक द्वारा विनिर्मित बाट या माप ने भारतीय बाजार में जगह बनाई है या आवेदक ने अपने विज्ञापन में अनुमति के लिए कोई विवरण दिया है जो तात्विक विशिष्टियों में मिथ्या हैं या उसने ऐसे तात्विक विशिष्टियों को छुपाया था, तो अनुज्ञा को रद्द

परंतु यह और कि प्रस्तावित कार्रवाई आवेदक को दिए गए एक मास की कारण बताओ सूचना देने के पश्चात् कोई भी अनुजा रद्द नहीं की जाएगी।

(5) उपनियम (4) के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञा एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और इस प्रकार के फीस का संदाय करने पर समान की अवधि के लिए नवीकृत की जाएगी:

परंतु प्रस्तावित कार्रवाई के लिए आवेदक को एक मास का कारण बताओ सूचना देने के सिवाय केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञिस के नवीनीकरण को इंकार करने के लिए कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

- (6) प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस नियम, के अधील अनुजा दी जाती है, केंद्रीय सरकार, केलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर; उसके द्वारा बेचे गए अमानक बाट या माप की मात्रा का विवरणी और ऐसे व्यक्ति के ब्यौरे जिसे यह बिक्री की गई है, प्रस्तुत करेगा।
- 7. मूल नियम के, नियम 23 में, "युक्तियुक्त अवसर" शब्दों के स्थान पर, 'एक अवसर' शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. डब्ल्यू. एम.-11(29)/2011] मनोज परिड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भागे 2, खण्ड 3(i) में सा.का.नि. 71 (अ) तारीख 7 फरवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (Department of Consumer Affairs) NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2012

G.S.R. 668(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (c), (f), (h), (i) and (s) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Legal Metrology (General) Rules, 2011, namely:-

- 1. (1) These rules may be called as the Legal Metrology (General) Amendment Rules, 2012.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Legal Metrology (General) Rules, 2011 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 15, in sub-rules (3) and (7), for the words "a reasonable opportunity", the words "one month notice" shall be substituted.
- 3. In the principal rules, in rule 16, in sub-rules (4) and (5), for the words "a reasonable opportunity", the words "one month notice" shall be substituted.
- 4. In the principal rules in sub-rule (2) of rule 10, and in the (4) of the principal rules in sub-rule (2) of rule 10, and in the principal rules in sub-rule (3) of rule 10, and in the principal rules in sub-rule (3) of rule 10, and in the principal rules in sub-rule (3) of rule 10, and in the principal rules in sub-rule (3) of rule 10, and in the principal rules in sub-rule (3) of rule 10, and in the principal rules in sub-rule (3) of rule 10, and in the principal rules in sub-rule (3) of rule 10, and in the principal rules in sub-rule (3) of rule 10, and in the principal rules in sub-rule (3) of rule 10, and in the principal rules in sub-rule (3) of rule 10, and in the principal rules in sub-rule (3) of rule (3) o

words 'well in time', the words "within ten working days of the submission of the sample for verification" shall be substituted.

- 5. In the principal rules, in rule 20, in sub-rule (3), for item, (ii), the following shall be substituted, namely:-
 - "(ii) where such non-standard weight or measure is similar to any standard weight or measure, the fee for verification of such weight or measure shall be the same as specified for the similar standard weight or measure, but if the weight or measurement of such non-standard weight or measure is in between two standard weights or measures, the fee will be equivalent to the higher standard weight or measure."
- 6. In the principal rules, after rule 21, the following rule shall be inserted, namely:-

"21A. Conditions, etc. for manufacture of a non-standard weight or measure exclusively for scientific investigation or research

- (1) The provisions of this rule shall apply to weights or measures which are made or manufactured exclusively for the purpose of scientific investigation or research.
- (2) No non-standard weight or measure shall be made or manufactured by any person unless he has obtained the previous permission from the Central Government.
- (3) Every person intending to manufacture any non-standard weight or measure for the purpose of scientific investigation or research shall make an application for permission to the Central Government on payment of a fee of rupees five hundred for such permission authorising him to manufacture such weight or measure and shall in such application indicate—
 - (a) his name and full address;
- (b) location of the factory in which such weight or measure is proposed to be manufactured;
 - (c) description of weight or measure proposed to be manufactured;
- (d) documentary or other evidence indicating the existence of a firm contract for the scientific investigation or research aforesaid or where there is no such firm contract for scientific investigation or research, documentary or other evidence indicating that there is likely to be a demand for the scientific investigation or research of non-standard weight or measure.

(4) The Central Government shall, if it is satisfied from the documentary or other evidence produced by the applicant or otherwise, that the applicant intends to manufacture non-standard weight or measure for scientific investigation or research, grant the permission authorising him to manufacture such weight or measure:

Provided that the Central Government may, if it is satisfied that the applicant has contravened any of terms and conditions of the permission or that weights or measures manufactured by the applicant have found their way into the Indian market or that the applicant had made any statement in his application for the permission which is false in material particulars or he had concealed some material particulars, cancel the permission:

Provided further that no permission shall be cancelled except after giving to the applicant one month's notice of showing cause against the proposed action.

(5) Every permission granted under sub-rule (4) shall remain valid for a period of one year and shall be renewed for a like period on payment of a like fee:

Provided that no order for the refusal to renew a licence shall be made by the Central Government except after giving the applicant one month's notice of showing cause against the proposed action.

- (6) Every person who is granted permission under this rule shall submit to the Central Government, at the end of the calendar year, a statement as to the quantity of the non-standard weights and measures sold by him and the particulars of the person to whom such sale has been made."
- 7. In the principal rules, in rule 23, for the words, "a reasonable opportunity" the words "an opportunity" shall be substituted.

[F. No. WM-11(29)/2011] MANOJ PARIDA, Jt. Secv.

Note : The principal rules were published in Gazette of India, Part II, Section 3(i), dated the 7th February, 2011, *vide* G.S.R. 71(E).